

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

al 570]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2019/आश्विन 5, 1941

No. 570]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2019/ASVINA 5, 1941

### खान मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 695(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज (सरकारी केंपनी द्वारा खनन) नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) संशोधन नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रदल होंगे।
- चिनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम, 2015 में .
  - (क) नियम 3 के, उपनियम (2) में "लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए, कर सकेगी," शब्दों के स्थान पर "कारणों को लेखबद्ध करते हुए, करेगी" शब्दों को रखा जाएगा;
  - (ख) नियम 4 के, उपनियम (3) में "लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए, कर सकेगी," शब्दों के स्थान पर "कारणों को लेखबद्ध करते हुए, करेगी" शब्दों को रखा जाएगा;

(फा. सं. 16/88/2018-एम.VI]

डॉ. निरंजन कुमार सिंह, संयुक्त सनिव

टिप्पणः खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम, 2015 भारत के राजगत्र, असाधारण भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में सारीख 3 दिसम्बर, 2015 को प्रकाशित किए गए थे।

# MINISTRY OF MINES

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2019

G.S.R. 695(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act. 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Mineral (Mining by Government Company) Rules, 2015, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Mineral (Mining by Government Company) Amendment Rules. 2019.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Mineral (Mining by Government Company) Rules, 2015.
  - in rule 3, in sub-rule (2), for the words "may, for reasons to be recorded", the words "shall, for reasons to be recorded" shall be substituted;
  - (b) in rule 4, in sub-rule (3), for the words "may, for reasons to be recorded", the words "shall, for reasons to be recorded" shall be substituted.

[F. No. 16/88/2018-M.VI]

Dr. NIRANJAN KUMAR SINGH, Jr. Secy.

Note: The Mineral (Mining by Government Company) Rules, 2015 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), dated the 3<sup>rd</sup> December, 2015.